3 शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ

शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ आयोग का एक महत्त्वपूर्ण संघटक है। यह समूचे देशभर से प्राप्त ऐसी शिकायतों को सुलझाता है, जहां कहीं किसी महिला के अधिकार का कोई हनन हुआ हो अथवा महिलाओं के साथ अन्याय अंतर्ग्रस्त होने वाला कोई मुद्दा शामिल हो। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ मौखिक, लिखित रूप में तथा आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in के जरिए ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, आयोग महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करता है।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की क्रियाविधि

जैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग में कोई शिकायत प्राप्त होती है (किसी भी तरीके से), उसे पंजीकरण हेतु शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में भेजा जाता है, जहां उसकी आयोग में प्राप्ति की तिथि, संख्या, प्रेषक का नाम तथा पता, मामला संख्या, श्रेणी तथा राज्य, आदि जैसे ब्योरों को नोट किया जाता है। पंजीकरण शिकायत की प्राप्ति की तिथि के 24 घंटे के भीतर किया जाता है। फिर एक जांच समिति गठित करने की अध्यक्षा की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रायः संज्ञान में ली गई शिकायतों को क्रम–वार नोट किया और शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ के विभिन्न पराशर्मदाताओं के मध्य वितरित किया जाता है। प्रत्येक परामर्शदाता एक सदस्या के साथ संबद्ध होता है, जो किसी विशेष मामले में निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी है।

परामर्शदाता शिकायतों की संक्षिप्त प्रसारण रिपोर्ट (बी टी आर) तैयार करते हैं, जिसमें वे राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्ति तथा अधिदेश के अनुसार मामले में की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देते हैं। उक्त रिपोर्ट को फिर अनुमोदन हेतु संबंधित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित सदस्य द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के पश्चात परामर्शदाता आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करता है और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया जाता है। संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त कृत कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को मुहैया कराई जाती है और उससे कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर आयोग को अपनी टिप्पणियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता/आवेदक को कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होती है तो शिकायत को संबंधित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उनके अनुमोदन से उसे बंद कर दिया जाता है। तथापि यदि शिकायतकर्ता कृत कार्रवाई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसकी टिप्पणियों को मंगवाया जाता है तथा उसके पश्चात उनके मद्देनजर उचित कार्रवाई की जाती है। आयोग की अध्यक्षा एवं सदस्यों द्वारा किसी घटना/घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने, संबंधित प्राधिकारियों से कृत कार्रवाई रिपोर्ट मंगवाने, सुनवाई हेतु पक्षों को बुलाने, सुनवाई करने तथा बयानों को दर्ज करने, परामर्श सत्र आयोजित करने तथा समाधान लाने और रिपोर्टों पर सिफारिशें करने के संबंध में निर्णय लिया जाता है। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ उप–सचिव/संयुक्त सचिव के पर्यवेक्षण में और संबंधित सदस्या के समग्र पर्यवेक्षण तथा दिशानिर्देश में कार्य करता है। अंतिम निर्णय संबंधित सदस्या द्वारा लिया जाता है, जो यह निर्णय करता है कि क्या मामले को बंद कर दिया जाए अथवा और आगे सुनवाई की जाए अथवा संबंधित प्राधिकारियों से और रिपोर्टें प्राप्त की जाएं अथवा आयोग के अनुमोदन से एक जांच समिति के गठन की सिफारिश की जाए। तथापि समिति का गठन केवल अध्यक्षा द्वारा उचित अनुमोदन के पश्चात ही किया जाता है। सामान्यतया शिकायत के अंतिम निपटान के समय सभी मामलों में शिकायतकर्ता को एक पत्र भेजा जाता है, चाहे आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया हो अथवा नहीं। शिकायत

एवं जांच प्रकोष्ठ में शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विनियमों का ब्योरा "राष्ट्रीय महिला आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2005, भाग–II (शिकायतों पर कार्रवाई करने संबंधी प्रक्रिया)" और शिकायतों को बंद करने की प्रक्रिया, (शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ), 2010" में दिया गया है।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता को उचित राहत प्रदान करने और शिकायतकर्ता की शिकायतों के उचित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। मामले के निपटान हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाए जा रहे हैं:

- जिन विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करने में पुलिस द्वारा उदासीनता बरती गई हो, उनसे संबंधित ब्योरा जांच हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है और उस पर निगरानी रखी जाती है;
- पारिवारिक विवादों/वैवाहिक विवादों को परामर्श के माध्यम से सुलझाया जाता है;
- गंभीर अपराधों हेतु आयोग एक जांच समिति का गठन करता है, जो मौके पर जाकर जांच करती है, विभिन्न साक्षियों से पूछताछ करती है, साक्ष्य एकत्र करती है तथा सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसी जांच हिंसा तथा अत्याचार से पीड़िता को तत्काल राहत तथा न्याय दिलवाने में सहायक होती है। आयोग ऐसे मामलों को संबंधित राज्य सरकारों/प्राधिकारियों के समक्ष उठाकर जांच समितियों की सिफारिश के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखता है;
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों में संबंधित संगठन/विभाग को ***विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में,*** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ***(ए आई आर 1997 उच्चतम न्यायालय 3011)*** के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो व्यथित महिला कर्मचारी की शिकायत पर जांच करेगी और आयोग को तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आयोग ने विभिन्न राज्यों से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किया है जिसमें सरकारी के साथ–साथ निगमित क्षेत्रों में भी "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" से संबंधित मामलों में जांच करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने पर बल दिया गया है।

ऐसी शिकायतें, जिन पर आयोग द्वारा सामान्यतः कार्रवाई नहीं की जाती:

निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों/मामलों में आयोग द्वारा सामान्यतः कार्रवाई नहीं की जाती है:

क. ऐसी शिकायतें जो स्पष्टतः पढ़ी न जा सकें या संदिग्ध हों, गुपचुप तरीके से की गई हों या छद्म नाम से की गई हों; या

ख. यदि उठाया गया मुद्दा पक्षों के बीच सिविल विवाद (दीवानी मामले) से संबंधित हो, जैसेकि संविदात्मक अधिकार दायित्व आदि से संबंधित मामले;

ग. यदि उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों से संबंधित हो, जिनमें महिला अधिकारों की वंचना शामिल न हो;

घ. यदि उठाया गया मुद्दा श्रम/औद्योगिक विवादों से संबंधित हो, जिनमें महिला अधिकारों की वंचना शामिल न हो;

ड. यदि मामला किसी न्यायालय/अधिकरण के समक्ष न्यायाधीन हो;

च. राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे किसी भी मामले में जांच नहीं करेगा, जो किसी राज्य महिला आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत विधिवत गठित किसी अन्य आयोग में लंबित हो;

छ. यदि मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका हो;

ज. यदि मामला किसी अन्य आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की परिधि से बाहर हो;

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली

राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायतों के पंजीकरण की ऑनलाइन प्रणाली शिकायतों को जल्द और आसानी से पंजीकृत कराए जाने की दृष्टि से स्थापित की गई है। इस सुविधा से, आयोग के वेबसाइट www.nic.in के जरिए और आयोग के ई–मेल अर्थात ncw@nic.in के जरिए शिकायतें पंजीकृत कराई जा सकती हैं। अब भारत के या विश्व के किसी भी भाग से कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कथित शिकायत को एक पंजीकरण नम्बर दिया जाता है और किसी परामर्शदाता विशेष के नाम चढ़ा दी जाती है। तत्पश्चात इसका निपटान उसी प्रक्रिया से किया जाता है जो डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा प्राप्त शिकायत के बारे में अपनाई जाती है। यदि शिकायतकर्ता अपने मामले की प्रगति के बारे में जानना चाहे तो उसे केवल वेबसाइट पर लॉग–इन करना होता है और अपने मामले की संख्या और संगत पासवर्ड टाइप करने के बाद वह अपने मामले में हुई कार्यवाही तथा प्रगति के बारे में जान सकता है।

शीर्ष, जिनके अंतर्गत शिकायतों का पंजीकरण किया जाता है:

आयोग में प्राप्त और पंजीकृत शिकायतों को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रखा जा सकता है:

(1) तेजाब से हमला
(2) हत्या का प्रयास
(3) बलात्कार का प्रयास
(4) द्वि–विवाह / व्यभिचार
(5) बालकों की अभिरक्षा
(6) साइबर अपराध
(7) परित्याग
(8) तलाक
(9) घरेलू हिंसा / वैवाहिक विवाद
(10) दहेज हत्या
(11) दहेज उत्पीड़न
(12) बालिका शिशु हत्या / भ्रूणहत्या
(13) कार्यस्थल पर उत्पीड़न
(14) दहेज हेतु उत्पीड़न / निर्दयतापूर्ण व्यवहार
(15) अपहरण / भगा ले जाना
(16) भरण–पोषण
(17) विविध
(18) महिला के साथ छेड़छाड़ करना / उसे तंग करना
(19) हत्या
(20) अनधिदेशित
(21) अनिवासी भारतीयों से विवाह
(22) पुलिस की उदासीनता
(23) पुलिस द्वारा उत्पीड़न
(24) संपत्ति (विधवा की संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन)
(25) बलात्कार
(26) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
(27) आश्रय / पुनर्वास

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान पंजीकृत शिकायतें (श्रेणी–वार और राज्य–वार)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग को **15985** शिकायतें / मामले प्राप्त हुए और उनका पंजीकरण किया गया। वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों / मामलों का श्रेणी–वार और राज्य–वार विवरण अनुलग्नक **क–II** और **क–III** में दिया गया है, जहां शिकायतों को 27 श्रेणियों / शीर्षों के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान आयोग को प्राप्त शिकायतों/मामलों का श्रेणी–वार वर्गीकरण अनुलग्नकः **क–II** में दिया गया है। यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त सर्वाधिक **2234** शिकायतें पुलिस की उदासीनता से संबंधित हैं, जिसके बाद घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवाद से संबंधित **2155** शिकायतें और दहेज उत्पीड़न से संबंधित **1339** शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई थीं। दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या **521**, महिलाओं के साथ छेड़छाड़/तंग करने के मामलों की संख्या **461,** अपहरण/भगा ले जाने के मामलों की संख्या **174**, पुलिस उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या **516** थी। बलात्कार के प्रयास से संबंधित शिकायतों की संख्या **249** तथा बलात्कार से संबंधित मामलों की संख्या **543** थीं। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या **65** थी जबकि कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों की संख्या **401** थी। द्विविवाह/व्यभिचार के मामलों की संख्या **107** तथा संपत्ति (विधवा संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन, आदि) से संबंधित शिकायतों की संख्या **764** थी। तलाक के मामलों से संबंधित शिकायतों की संख्या **02** और तथा परित्याग से संबंधित मामलों की संख्या **02** थी। तेजाब से हमलों के **04** मामले और विविध प्रकार के **6376** मामले दर्ज किए गए।

ऊपर से अवरोही क्रम में दस श्रेणियों की सूची, जिनमें शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, नीचे दशाई गई है :

क्र. सं.	श्रेणी*	शिकायतों की संख्या
1.	पुलिस की उदासीनता	2234
2.	घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवाद	2155
3.	दहेज उत्पीड़न	1339
4.	संपत्ति (विधवा की संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन, आदि)	764
5.	बलात्कार	543
6.	दहेज हत्या	521
7.	पुलिस द्वारा उत्पीड़न	516
8.	महिलाओं के साथ छेडछाड़ करना/तंग करना	461
9.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	401
10.	बलात्कार का प्रयास	249

***टिप्पणीः** उपर्युक्त सारणी में विविध/अनधिदेशित श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान आयोग को प्राप्त राज्य–वार शिकायतों/मामलों को अनुलग्नकः **क–III** में दर्शाया गया है। आयोग को उत्तर प्रदेश से **8644** शिकायतें/मामले जबकि दिल्ली से **2094** शिकायतें, राजस्थान से **1339** शिकायतें प्राप्त हुईं जिससे राजस्थान इस मामले में तीसरे स्थान पर है, आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों के मामले में हरियाणा चौथे स्थान पर और मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर है, जहां से आयोग को क्रमश' **710** और **674** शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

वर्ष 2009–10 के दौरान ऊपर से अवरोही क्रम में दस श्रेणियों की सूची, जिनमें शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, नीचे दशाई गई हैः

क्र. सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	8644
2.	दिल्ली	2094
3.	राजस्थान	1339
4.	हरियाणा	710
5	मध्य प्रदेश	674
6.	बिहार	465

क्र. सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
7.	महाराष्ट्र	409
8.	उत्तराखंड	304
9.	पंजाब और झारखंड	प्रत्येक 209
10.	तमिलनाडु	158

अतः यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग विपदाग्रस्त महिलाओं तथा साथ ही समाज को भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रहा है। शिकायतों के निपटान में आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया/प्रणाली से शिकायतों के निपटान में अनेक सफलताएं मिली हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा सफल मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

आयोग द्वारा निपटाए गए चुनिंदा सफल मामले

1. 66–वर्षीय एक महिला श्रीमती एक्स ने राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष यह गुहार लगाई कि उसका जनकल्याण ट्रस्ट, आनंद निकेतन वृद्ध सेवाश्रम, नोएडा, उ.प्र. के सचिव द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया है और तत्पश्चात उसे आश्रम से बाहर फेंक दिया गया है। उसने आयोग को यह भी बताया कि उसे भोजन देने से मना कर दिया गया और उसे बार–बार वृद्धाश्रम को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। उसने ट्रस्ट के समक्ष अपना विरोध प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह वृद्धाश्रम से तभी जाएगी यदि उसे उसके 1,00,000/– रुपए, जिसे उसने ट्रस्ट में दानस्वरूप जमा कराया था, लौटा दिए जाएं। तथापि ट्रस्ट के लोगों ने उसे यह कहते हुए उक्त राशि लौटाने से इनकार कर दिया कि वह राशि दानस्वरूप थी और अप्रतिदेय थी। शिकायतकर्ता ने इस स्थिति से अत्यधिक क्षुब्ध और व्यथित होकर अपनी धनराशि की वापसी के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए, शिकायतकर्ता और सचिव, जनकल्याण ट्रस्ट, आनंद निकेतन वृद्धाश्रम, नोएडा को आयोग के कार्यालय में बुलाकर उनके साथ बैठक की। विस्तृत सुनवाई के पश्चात ट्रस्टीज शिकायतकर्ता को 60,000/– रुपए लौटाने पर सहमत हुए क्योंकि वे विवाद को उपयुक्त रूप में सुलझा लेना चाहते थे। परिणामस्वरूप श्रीमती एक्स को ट्रस्ट द्वारा जारी चैक के माध्यम से 60,000/– रुपए लौटा दिए गए, जिसके पश्चात उसने अपनी सभी वस्तुओं के साथ ट्रस्ट के कमरे को खाली कर दिया।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग को बीएसएफ कार्मिकों द्वारा चार महिलाओं पर कथित शारीरिक हमलों के संबंध में माननीय अध्यक्षा, मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग से एक शिकायत प्राप्त हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले पर कार्रवाई करते हुए, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली और महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, शिलांग को इस मामले पर उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए उनसे कृत कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कहा। तत्पश्चात आयोग को महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली से इस मामले में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह सूचित किया गया है कि मामले की जांच करने के लिए महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, शिलांग द्वारा एक जांच न्यायालय गठित करने का आदेश जारी किया गया है। कृत कार्रवाई रिपोर्ट से यह भी ज्ञात हुआ कि संबंधित पक्षों के बीच मामले पर पारस्परिक समझौता हो गया है और कोर्ट में "समझौता विलेख" प्रस्तुत किया गया है, जिसके पश्चात कार्यवाही बंद कर दी गई है क्योंकि पिनुरस्ला पुलिस थाने में दर्ज मामले की सभी धाराएं समाधेय या समझौतायोग्य थीं।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) की रहने वाली श्रीमती एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके पति स्व. श्री एक्स ब्रुकबांड कंपनी, कोलकाता में काम कर रहे थे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा उन्हें उनके मृतक पति की पेंशन/बकाया राशि का

भुगतान नहीं किया जा रहा है और एक अंतिम सहारे के रूप में उसने सहायता हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग की शरण ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मामले पर कार्रवाई करते हुए, उस महिला के पति के नियोक्ता अर्थात हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की गई। इस संबंध में आयोग को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मुबई से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह सूचित किया गया है कि मृतक की पत्नी अर्थात शिकायतकर्ता के पक्ष में अनुग्रही भुगतान जारी कर दिया गया है।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग को पूर्वी दिल्ली की निवासी श्रीमती एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने अपने पति पर उसके साथ उत्पीड़न/विश्वास भंग करने/निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने/धोखाधड़ी करने/द्विविवाह करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि उसके पति ने उसका परित्याग कर दिया है और उसे अपने पति के पता–ठिकाना के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अत्यधिक व्यथित होकर उसने सहायता और हस्तक्षेप के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की शरण ली है। इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कार्रवाई करते हुए, शिकायतकर्ता के पति के पता–ठिकाना के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई जिसके पश्चात शिकायतकर्ता का पति आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ। दोनों पक्षों को सलाह दी गई कि वे अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। परिणामस्वरूप वे अपनी एकमात्र अल्पवयस्क पुत्री के भविष्य को देखते हुए, अपने मतभेदों का आपस में मिलजुलकर समाधान करने पर सहमत हो गए।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग को पूर्वी जिला, दिल्ली की निवासी श्रीमती वाई से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उसने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर उसके साथ उत्पीड़न/अत्याचार/घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में कार्रवाई की और दोनों पक्षों अर्थात शिकायतकर्ता और उसके पति को आयोग में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया। इसके पश्चात दोनों पक्ष आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और उनके साथ परामर्श बैठक आयोजित की गई जिसमें शिकायतकर्ता के पति ने अपना दोष स्वीकार किया और आयोग को लिखित में यह आश्वासन दिया कि भविष्य में वह अपनी पत्नी का उचित ध्यान रखेगा।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग को उड़ीसा की स्थायी निवासी श्रीमती जेड से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने यह आरोप लगाया कि उसकी बहन श्रीमती वाई की उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा अधिक दहेज की मांग के चलते निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई है। उसने यह कहा कि उसकी बहन से उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग विवाह के तुरंत बाद ही दहेज की मांग और उसका उत्पीड़न करने लगे थे और जब वह उनके दिनानुदिन बढ़ती जा रही दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पाई तो उसकी गुजरात के आनंद जिले में निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है और यहां तक कि इस मामले में नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा मृतका के पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोपित भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी) अर्थात "दहेज हत्या" की धारा हटाने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए, पुलिस महानिदेशक, गांधीनगर, गुजरात, जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, आनंद और पुलिस अधीक्षक, आनंद से कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे संबंधित मामले में उपयुक्त कार्रवाई शुरू करें। तत्पश्चात आयोग को गुजरात पुलिस से कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह सूचित किया गया कि इस मामले की फिर से जांच की गई है, जिसके पश्चात संबंधित न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल

कर दिया गया है तथा जांच के दौरान आईपीसी की धारा 304–बी हटाई नहीं गई है।

7. नई दिल्ली–18 की निवासी श्रीमती जे ने राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने यह आरोप लगाया कि वह जिस स्कूल में कार्य करती है, वहां के चेयरमैन द्वारा उसका "यौन उत्पीड़न/कार्यस्थल पर उत्पीड़न" किया गया है। उसने यह आरोप लगाया कि उक्त अपराधी द्वारा कोई न कोई बहाना बनाकर उसका उत्पीड़न किया गया है/उसे यातना दी गई है। उसने यह भी कहा कि जब उस अपराधकर्ता को यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता ने उसके विरुद्ध राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है तो उसके साथ और अधिक उत्पीड़क व्यवहार करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि उसे बिना किसी ठोस आधार के सेवा से निलंबित कर दिया गया/उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। आयोग ने इस मामले पर विचार किया और निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और उस स्कूल की प्रबंध समिति के अध्यक्ष से कृत कार्रवाई रिपोर्टों की मांग की। तत्पश्चात आयोग को शिक्षा निदेशालय से कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह सूचित किया गया कि इस मामले में जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई थी जिसने अपने निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ निदेशालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय ने स्कूल के प्रबंधन को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता को फिर से नौकरी पर रख लिया जाए और समिति द्वारा दोषी पाए गए कथित अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाए। बाद में, आयोग को यह सूचना प्राप्त हुई कि शिकायतकर्ता को नौकरी पर फिर से रख लिया गया है और अपराधकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू की गई है।

8. मुजफ्फरपुर, बिहार की एक महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग से यह शिकायत की कि उसके माता–पिता उसका इस कारण उत्पीड़न कर रहे हैं कि उसने अपनी पसंद से शादी कर ली है। उसके माता–पिता, उसके पति और उसके ससुराल पक्ष के लोगों को अपहरण के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने राष्ट्रीय महिला आयोग से अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा हेतु प्रार्थना करते हुए, शिकायत की। आयोग ने मामले पर कार्रवाई करते हुए, मुजफ्फरपुर रेंज, बिहार के पुलिस महानिरीक्षक को शिकायतकर्ता के बयान की एक प्रति और उसके आयु प्रमाण–पत्र के साथ एक पत्र भेजा। आयोग ने पुलिस से भी बात की और यह बताया कि वह महिला स्वयं आयोग के कार्यालय में उपस्थित हुई थीं और अपने विवाह के संबंध में बताया था तथा आयु के संबंध में उसने प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया था। उसके पश्चात पुलिस ने उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की।

9. एक महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष यह शिकायत की कि श्री वाई नामक एक व्यक्ति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का चिकित्सक होने का झूठा दावा करते हुए, उसके पुत्र को गलत दवाइयां लेने की सलाह दी, जिसके कारण उसके पुत्र का गुर्दा काम करना बंद कर चुका है। इस नकली डॉक्टर के विरुद्ध हरिनगर पुलिस थाना, पश्चिमी जिला, नई दिल्ली में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिस मामले में श्री वाई ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। हालांकि उसे न्यायालय द्वारा जमानत देने से मना कर दिया गया था, किंतु पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। आयोग ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए, हरिनगर थाने के थानाध्यक्ष को उक्त शिकायत पर विस्तृत कृत कार्रवाई रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस भेजा गया। हरिनगर थाने के थानाध्यक्ष ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह कहा गया कि कथित अभियुक्त को

गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा न्यायालय ने उसे दो दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तत्पश्चात आयोग के हस्तक्षेप पर उसकी कंपनी ने अभियुक्त औषधि प्रतिनिधि को सेवा से निकाल दिया।

10. एक महिला शिकायतकर्ता ने यह शिकायत की कि उसकी ससुराल पक्ष के लोग उसे शारीरिक और मानसिक यातना दे रहे हैं और उसका पति भी उसके साथ वैवाहिक संबंध को जारी रखने का इच्छुक नहीं है जिसके कारण वह उसकी कोई देखभाल नहीं करता। उसने आयोग से अपील की कि उसे उसका स्त्रीधन वापस दिलवा दिया जाए। आयोग ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग के कार्यालय में बुलाया। आयोग के कार्यालय में हुई 5–6 सुनवाइयों के पश्चात दोनों पक्ष उपयुक्त हल पर पहुंच गए जिसके अनुसार पति–पत्नी के बीच तलाक के लिए पारस्परिक सहमति हुई और उस महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने आयोग के कार्यालय में ही उसे उसका स्त्रीधन लौटा दिया।

11. दिल्ली की रहने वाली एक महिला शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पहुंचकर यह शिकायत की कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसका शारीरिक/मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं/उसके साथ निमर्म व्यवहार कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। उसे यह कहा गया है कि यदि वह अपने मायके से भरपूर दहेज लेकर नहीं आती है तो उसका पति उससे सभी संबंध तोड़ लेगा और किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लेगा। उसने आयोग से यह अपील की कि उसे उसका स्त्रीधन वापस दिलवाया जाए और साथ ही दोषियों को दंडित किया जाए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आयोग ने दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग के कार्यालय में बुलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को भी एक नोटिस भेजा गया ताकि सुनवाई हेतु प्रतिपक्ष के लोगों की आयोग के कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। आयोग के कार्यालय में चली चार सुनवाइयों के पश्चात दोनों पक्ष एक उपयुक्त हल पर पहुंच गए जिसके पश्चात उस महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे उसका स्त्रीधन तथा मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए की राशि लौटा दी। इसके साथ ही दोनों पक्ष प्राधिकारियों के समक्ष लंबित सभी मामलों को वापस लेने पर सहमत हो गए।

12. उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक महिला ने आयोग के समक्ष यह शिकायत की कि उसकी पुत्री के पति और ससुराल पक्ष के लोग उससे दहेज की मांग करते हैं/उसका उत्पीड़न करते हैं/मानसिक और शारीरिक यातना देते हैं/निर्ममतापूर्ण व्यवहार करते हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पुत्री के ससुराल पक्ष के लोग उसके परिवार के लोगों को उसकी पुत्री से मिलने नहीं दे रहे हैं और इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसने आयोग से यह अपील की कि उसे उसकी पुत्री से मिलवाया जाए। आयोग ने बिजनौर, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक को यह नोटिस भेजा कि वे विस्तृत कृत कार्रवाई रिपोर्ट के साथ आयोग में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हों। तत्पश्चात आयोग के हस्तक्षेप पर पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली।

13. एक शिकायतकर्ता ने आयोग में यह शिकायत की कि दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण उसकी पुत्री की उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर दी है। पुलिस ने उसकी पुत्री के पति, सास और ससुर को तो गिरफ्तार किया, किंतु उसके देवर को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि प्राथमिकी से उसका नाम हटा लिया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि हालांकि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी,

किंतु केवल तीन अभियुक्तों अर्थात महिला के पति, ससुर और सास को ही गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आयोग ने कार्रवाई करते हुए, संबंधित पुलिस अधिकारियों को आयोग के कार्यालय में सुनवाई हेतु बुलाया तथा महिला के देवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

14. आयोग को एक महिला से इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई कि उस महिला का वरिष्ठ अधिकारी उसका कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न करता है। जब उसने इस संबंध में मानव संसाधन प्रभाग के अध्यक्ष को शिकायत की तो प्राधिकारियों द्वारा उसके साथ उपयुक्त व्यवहार नहीं किया गया, जिसके कारण उसने नौकरी छोड़ने की सोची। तथापि कंपनी ने शिकायतकर्ता को उसके मूल दस्तावेज लौटाने से इनकार कर दिया। आयोग ने उस कंपनी के मानव संसाधन प्रभाग के प्रबंधक को आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए पत्र लिखा। कंपनी के मानव संसाधन प्रभाग का प्रबंधक आयोग के कार्यालय में उपस्थित हुआ और बाद में शिकायतकर्ता को उसके मूल दस्तावेज लौटा दिए गए। आयोग अब यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत की जांच कर रहा है और कंपनी के मानव संसाधन प्रभाग के प्रबंधक को शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और 10(4) के अंतर्गत की गई जांच

राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायतों की जांच करता है तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने और महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए अधिनियमित कानूनों को क्रियान्वित न करने से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करता है। इस संबंध में कुछ चुनिंदा मामलों का वर्णन नीचे किया गया है:

1. भोपाल सामूहिक बलात्कार मामला:

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धाराओं के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में एक चलती कार में एक विवाहित महिला (लगभग 25 वर्ष की आयु की) के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की। इस समिति में तीन सदस्य थे जिन्होंने इस मामले में जांच करने के लिए भोपाल का दौरा किया।

जांच समिति ने घटना के संबंध में जांच करने के लिए दिनांक 24.06.2010 को घटना स्थल का दौरा किया। समिति ने कथित घटना के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए पीड़ित महिला सहित सभी संबंधितों से भेंट की। इस मामले को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 376 (जी), 506 के अंतर्गत दर्ज किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट आयोग और राज्य सरकार को भेज दी गई है।

2. सूरत सामूहिक बलात्कार मामला:

आयोग ने गुजरात के सूरत जिले में एक छात्रा (जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष थी) के कथित सामूहिक बलात्कार की घटना पर स्वतःसंज्ञान लेकर कार्रवाई की। इस संबंध में आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के उपबंध के अंतर्गत घटना की जांच करने और मामले की पड़ताल करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई।

तीन सदस्यीय समिति ने 15.06.2009 को सूरत का दौरा किया, जहां उन्होंने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों, पीड़िता के परिवार के सदस्यों (पीड़िता को अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा था और वह घोर मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी जिसके कारण वह किसी से मिलने की स्थिति में नहीं थी) से मुलाकात की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। खतोदरा पुलिस थाना, सूरत में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376 (4), 502 (2), 114 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया।

3. मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में महिलाओं का कौमार्य परीक्षण/चिकित्सीय परीक्षणः

आयोग ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में महिलाओं पर किए जा रहे कौमार्य परीक्षणों/चिकित्सीय परीक्षणों के संबंध में समाचारपत्र में प्रकाशित रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया। इस संबंध में आयोग की एक तीन–सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, जिसने शहडोल जिले का दौरा किया और साथ ही समिति के सदस्य 16 जुलाई, 2009 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित कैम्प में भी गए। समिति के सदस्यों ने सभी संबंधित अधिकारियों और पीड़िताओं से भेंट की और उनके बयान लिए। जांच समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है । इस रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को भी भेजा गया।

4. राजस्थान की आदिवासी लड़कियों का गुजरात में अनैतिक दुर्व्यापारः

आदिवासी लड़कियों का राजस्थान से गुजरात में अनैतिक दुर्व्यापार {दक्षिण राजस्थान (उदयपुर और डूंगरपुर जिले) से काम के लिए गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा जिले में ले जाई गई आदिवासी लड़कियों की कथित रहस्यपूर्ण मृत्यु की घटना के बारे में)}।

दक्षिण राजस्थान मजदूर यूनियन (डीआरएमयू), डूंगरपुर और प्रयास सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन, उदयपुर, राजस्थान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदयपुर और डूंगरपुर में स्थित दक्षिण राजस्थान आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों और नवयुवतियों की मृत्यु की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि बच्चों और नवयुवतियों को बहुत अधिक संख्या में उत्तरी गुजरात में बीटी कपास (जी एम) फार्मों में पर–परागण (क्रॉस पॉलिनेशन) कार्य कराने के लिए, जिसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है और जो कुल मिलाकर एक मौसमी कार्य है, प्रतिवर्ष जुलाई और सितंबर के महीनों में ले जाया जाता है।

गठित की गई जांच समिति में 6 सदस्य शामिल किए गए थे। जांच समिति ने राजस्थान के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों के माता–पिता सहित सभी संबंधितों से भेंट की। इस संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को उसकी सिफारिशों के दृष्टिगत उपयुक्त कार्रवाई हेतु राजस्थान और गुजरात की सरकारों को अग्रेषित किया गया।

5. बुंदेलखंड क्षेत्र, झांसी में सूखे की मार से बचने के लिए कर्ज के बोझ से दबे किसानों द्वारा कथित रूप से अपनी पत्नियों को बेच देने की घटनाः

बुंदेलखंड क्षेत्र, झांसी में सूखे की मार से बचने के लिए कर्ज के बोझ से दबे किसानों द्वारा कथित रूप से अपनी पत्नियों को बेच देने की घटना के संबंध में गठित जांच समिति की 10.09.2009 को प्रस्तुत की गई प्रारंभिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सीएनएन–आईबीएन चैनल पर 07.09.2009 को "वूमेन ऑन सेल" और "बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में सूखे की मार से बचने के लिए कर्ज के बोझ से दबे परिवार अपनी पत्नियों को बेच रहे हैं" – शीर्षक से प्रसारित समाचारों पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग द्वारा इस मामले में जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के उपबंध के अंतर्गत उसी दिन एक जांच समिति गठित कर दी गई। इस जांच समिति ने 19.09.2009 को बुंदेलखंड क्षेत्र का दौरा किया। इस समिति में चार सदस्य शामिल थे।

6. उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पुलिस द्वारा महिलाओं को पीटे जाने/उनका उत्पीड़न किए जाने से संबंधित आरोपः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धाराओं 10(1) और 10(4) के साथ पठित धारा 8(1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अमेठी क्षेत्र में महिलाओं को कथित रूप से पुलिस द्वारा पीटा गया था और उनका उत्पीड़न किया गया था। परिणामस्वरूप एक द्वि–सदस्यीय

समिति गठित की गई, जिसने इस मामले में जांच करने के लिए 30.07.2009 को अमेठी का दौरा किया।

7. शाइनी सूरज आहूजा का मामलाः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने समाचारपत्र में छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, फिल्म अभिनेता शाइनी आहूजा द्वारा अपनी नौकरानी का बलात्कार करने की घटना की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की। इस समिति में तीन सदस्य शामिल किए गए थे। समिति ने 18.06.2009 को बलात्कार वाली जगह का दौरा किया और पीड़िता तथा उसके परिवार के सदस्यों और साथ ही, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की। यह मामला ओशिवाड़ा पुलिस थाना, मुंबई में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 346, 506 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और मामला अदालत में चल रहा है।

8. "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" के कथित आरोप के संबंध में एयर इंडिया की एयर होस्टेस सुश्री कोमल सिंह का मामलाः

एयर इंडिया की कर्मचारी सुश्री कोमल सिंह का एयर इंडिया के पायलट (पायलटों) (उड़ान सं. आईसी–884) द्वारा यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़ करने/यौन आक्रमण करने के कथित आरोप के संबंध में जांच करने के लिए आयोग द्वारा एक जांच समिति गठित की गई।

इस समिति में 6 सदस्य शामिल थे। जांच समिति ने 12.10.2009 को पूरी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एयर इंडिया के कार्यालय और जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी, उस स्थान का भी दौरा किया तथा कथित घटना के संबंध में पता लगाने के लिए एयर इंडिया के अधिकारियों तथा अभियुक्त और पीड़िता तथा उन सभी व्यक्तियों जो इसमें अंतर्निहित थे, से बयान लिया। आयोग को समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, यौन उत्पीड़न का आरोप तथ्यपरक नहीं पाया गया। समिति की रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सिफारिशों के दृष्टिगत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई है।

9. सुश्री रुचिका गिरहोत्रा, चंडीगढ़ः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया में छपी खबरों पर स्वतः संज्ञात लेते हुए, हरियाणा कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री एस पी एस राठौर द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने वाली पंचकूला, हरियाणा की सुश्री रुचिका गिरहोत्रा के मामले में अपनी जांच की है।

10. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में लड़कियों का अपहरणः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 11.09.2009 को नई दुनिया में छपी रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें यह कहा गया था कि आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से लड़कियों को मध्य–पूर्व के देशों में भेजने के लिए उनका अपहरण किया जा रहा है/उन्हें भगा कर ले जाया जा रहा है और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधीन एक जांच समिति गठित की। इस समिति में चार सदस्य शामिल थे। समिति ने 15 सितंबर, 2009 को आजमगढ़ का दौरा किया। समिति ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

11. नई दिल्ली में एक 23 वर्ष की लड़की को चार व्यक्तियों द्वारा उसके घर से भगा ले जाना और 42 दिनों से भी अधिक समय तक उसके साथ बलात्कार करनाः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 29 सितंबर, 2009 को एशियन एज में प्रकाशित समाचार के आधार पर दिल्ली में हुए एक सामूहिक बलात्कार की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया जिसके पश्चात आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त से इस मामले में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

इस मामले की जांच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपी गई तथा दिल्ली के तिलकनगर पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 376, 366, 344 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियुक्त को 03.10.2009 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके दो दिन पश्चात 06.10.2009 को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।